

पत्रांक 1805/3सी0 वन भूमि
सेवा में,

दिनांक 14/ अक्टूबर 2020

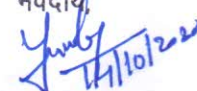
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय: जनपद अल्मोड़ा में चितई पंत से हरिदत्त पेटशाली इण्टर कॉलेज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43875 है0 वन भूमि का लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0 9220/2015)
संदर्भ: आपका पृष्ठांकन पत्र सं0 मैमो/12-1(2) दिनांक 07.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा अपने पत्र सं0 1404/3सी0 दिनांक 30.09.2020 द्वारा दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र होने एवं वैकल्पिक मार्ग निर्माण की आवश्यकता के संबंध में विस्तृत आख्या उपलब्ध करायी गयी है(पत्र संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

मे (४४३३)
/Fax- + 05966-220078
E-mail :- eenhranikhet@gmail.com

दिनांक: 30/9/2020

पत्रांक:- 1404/1361-
सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पन्त तिराहे से (हरिदत्त पोटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43875 है० वनभूमि का गैरवानिकीय कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
FP/UK/ROAD/9220/2015

संदर्भ :- आपका पत्रांक 1559/3सी० व०भू० दिनांक 08.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अगवत कराना है कि अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 बी है के किमी० 6 से 10 के (चितई से पेटशाल) कुल लम्बाई 5 किमी० में कुल 7 नं० आउटर कर्व है। जिनकी चौड़ाई न्यूनतम 7.30 मी० एवं अधिकतम 12.60 मी० के मध्य है। चितई से पेटशाल के मध्य मार्ग का ढाल न्यूनतम 1:10 फाल एवं 1:20 फाल है, मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 5.25 मी० एवं अधिकतम चौड़ाई 8.40 मी० के मध्य हैं। मार्ग के इस प्रभाग में कुछ मोड़ अतिसंवेदनशील होने के कारण समय-समय पर मार्ग में दुर्घटनाएं होती रहती है। मोड़ों पर मार्ग का ढलान न्यूनतम 1:9 एवं अधिकतम 1:16 है। जैसा कि पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि चितई पन्त तिराहे से हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे पेटशाल तक मोटर मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है।

अतः यदि चितई पन्त तिराहे से पेटशाल तक नये मोटर मार्ग का निर्माण किया जाता है तो इस मार्ग के निर्माण के पश्चात् इस प्रभाग में एक वैकल्पिक मार्ग प्राप्त किया जा सकता है, जिससे यात्रियों को सुविधा प्राप्त होने के साथ-साथ सुरक्षित यातायात की भी सम्भावना होगी।

(इं० एम०पी०एस० कालाकोटी)

अधिशासी अभियन्ता,
रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, रानीखेत।

दिनांक: / /2020

पत्रांक:- /

प्रतिलिपि :-

प्रतिलिपि :-

प्रतिलिपि :-

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त लो०नि०वि० अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता रा०मा० वृत्त लो०नि०वि० हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(इं० एम०पी०एस० कालाकोटी)

अधिशासी अभियन्ता,
रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, रानीखेत।